संख्या-16/2018/256/60-2-18-2/3(6)/13

प्रेषक,

मासूम अली सरवर
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2018

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आई.एस.एस.एन.आई.पी. योजना के अन्तर्गत समुदाय परम्परागत गतिविधियों जैसे अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम हेतु अग्रिम आहरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-99/बा0वि0परि0/जे0पी0सी0(स्निप)/2017-18, दिनांक 30.01.2018 के संदर्भ में अवगत कराना है कि स्निप योजना से आच्छादित प्रदेश के 41 जनपदों की 471 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित 91179 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम कराये जाने हेतु प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र रूपये 250.00 की दर से प्रति गतिविधि रूपये 2,27,94,750/- के आधार पर 02 समुदाय आधारित गतिविधि कार्यक्रम कराये जाने हेतु रूपये 4,55,89,500/- (रूपये चार करोड़ पचपन लाख नवासी हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण करने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-27/2017/1020/60-2-17-2/3(6)/13, दिनांक 30 जून, 2017 एवं 03 समुदाय आधारित गतिविधि कार्यक्रम कराये जाने हेतु रूपये 6,83,84,250/- (रूपये छः करोड़ तिरासी लाख चौरसी हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण करने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-50/2017/2687/60-2-17-2/3(6)/13, दिनांक 21 नवम्बर, 2017 द्वारा दी गयी है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्निप योजना से आच्छादित प्रदेश के 41 जनपदों की 471 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित 91179 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम कराये जाने हेतु संलग्नक के अनुसार प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र रूपये 250.00 की दर से प्रति गतिविधि रूपये 2,27,94,750/- के आधार पर 02 समुदाय आधारित गतिविधियों (माह मार्च 2018) को संचालित कराये जाने हेतु रूपये 4,55,89,500/- (रूपये चार करोड़ पचपन लाख नवासी हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण करने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा), अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83, शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.11 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15-1(1)/69 दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(5) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब तक स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अवश्य करा लिया जाय तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।

(6) आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक गतिविधि हेतु अग्रिम आहरण के उपरान्त दूसरा अग्रिम आहरित किया जायेगा।

(7) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन) आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा।

(8) इस योजना के अन्तर्गत धन संचरण, लेखों के रख-रखाव, आडिट इत्यादि के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-97-वाह्य सहायतित योजनाएं-9703-आई.एस.एस.एन.आई.पी. (सामाजिक जागरूकता) के मानक मद-42-अन्य व्यय(के.88/रा.12-के.+रा.)" के नाम डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई-3-787/दस-2018, दिनांक 19 मार्च, 2018 के द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
विशेष सचिव

संख्या-16/2018/256(1)/60-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग/वित्त (लेखा) अनुभाग-1।
7. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in